न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 398/2021
दायर दिनांक :– 20.09.2021

अनवान

रामकुंवार पिता बरदा मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर

प्रार्थी..............

बनाम

1. कंचन पत्नि महावीर मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर
2. छीतर पिता नन्दा मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर
3. भूरा पिता खाना मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर
4. लखमा पिता खाना मीणा नि. सरसिया तह. जहाजपुर
5. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री शैतान सिंह राणावत, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 20.07.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरसिया प. ह. सरसिया तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 कुल किता 10 रकबा 0.4614 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर काबिज काश्त है। ग्राम सरसिया प. ह. सरसिया तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2296, 2297, 2300, 2311, 2312, 2313 कुल किता 06 रकबा 0.9470 हैक्टेयर कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 4 खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात पर प्रार्थी अपने हक व हिस्से पर काबिज काश्त है प्रार्थी अपने हक हिस्से की खातेदारी भूमि में सरसिया से भुवारा जाने वाले रास्ते से आराजी सं. 2296 एवं 2297 की दक्षीणी मेड के सहारे जो 12 फिट चौडा रासता है पर होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन आ. सं. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु जो 12 फिट चौडा रास्ता से विगत 40 वर्षो से प्रार्थी एवं उसके परिवार के व्यक्ति ट्रेक्टर द्वारा हकाई बुआई व फसल को लाते ले जाते रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण ने कांटो की बाड लगाकर बन्द कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि पर आना जाना एवं खेती करना दुर्लभ हो गया है एवं वर्तमान में मेरे खेत खाली पडे हुये हैं। इसलिये आराजी सं. 2296 एवं 2297 की दक्षिणी मेड के सहारे जो 12 फिट चौडा रास्ता जो नजरी नक्शा में दर्शा रखा है को नक्शा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

तरमीम करवा रास्ता खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वर्षो पूर्व चले आ रहे रास्ते को बंद करने से मना किया तो मरने मारने एवं लडाई झगडा करने पर आमादा हुये।यदि उक्त रास्ता को खुलासा नही करते है तो प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ जा नही पायेगा न ही कृषि कार्य कर पायेगा और न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगा। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी बिन्दु जो 12 चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम करवा रास्ता किस्म दर्ज करवा रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है। जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। इस रास्ते से निकलने से अप्रार्थीगण बाधा न डाले न अपने नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदारों से रूकवाकर पैदा करे। इसलिये कानून प्रार्थी उक्त रास्ता को लट्ठा सीट में तरमीम करवा रास्ता घोषित करवाना चाहता हैं एवं ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा प्रार्थी रास्ता में उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशि देने को तैयार है। दिनांक 20.07.2021 को अप्रार्थीगण उक्त कदमी समय से चले आ रहे रास्ता को बन्द करने से वाद हेतुक 20.07.2021 से उत्पन्न होकर निरनतर जारी है। चरण सं. 2 में वर्णित आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 का 1/3 हक हिस्सा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा जहाजपुर के पक्ष में रहन होने से बैंक आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने आने हेतु प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित आराजी सं. 2296 व 2297 की दक्षिणी मेड के सहारे जो 12 फिट चोडा रास्ता जो नजरी नक्शा ट्रेस में दर्शा रखा ए से बी बिन्दु है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का हुक्म प्रदान करावे व रास्ता भूमि का प्रतिफल प्रार्थी भुगतान हेतु तत्पर है एवं उक्त 12 फिट चौडा रास्ता राजस्व लटठा सीट में तरमीम कर कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में पहुॅचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 01.06.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 2312, 2313 में से रास्ता देने पर 100 वर्गमीटर, 180 वर्गमीटर कुल 280 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की जोत तक पहुॅचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 2312, 2313 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रार्थी गरीब काश्तकार हैं, अतः वे प्रतिकर नगद जमा कराने में असमर्थ है, और प्रतिकर के तौर पर भूमि के बदले अपने खसरा सं. 2314 में से भूमि देने को तैयार है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अपने आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आने जाने हेतु ख. न. 2312, 2313 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 2312, 2313 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। साथ ही बतौर प्रतिकर भूमि के बदले भूमि देने की प्रार्थना को भी न्यायालय स्वीकार करान उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम सरसिया प. ह. सरसिया तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आने जाने के लिये आ. न. 2312, 2313 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 2312 रकबा 100 वर्गमीटर, आ.न. 2313 रकबा 180 वर्गमीटर में से रास्ता देने पर कुल 280 वर्गमीटर भुमि प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण की भूमि से लगते हुए स्वंय के खसरा नम्बर 2314 में से 280 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थीगण को ~~भूमि~~ प्रदान करे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 22 / मु.न. 398 / 2021 दिनांक 20.07.2022

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 398 / 21 अनवान रामकुंवार पिता बरदा मीणा नि. सरसिया बनाम कंचन पत्नि महावीर मीणा, छीतर पिता नन्दा मीणा, भूरा पिता खाना मीणा, लखमा पिता खाना मीणा नि. सरसिया, शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा जहाजपुर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम सरसिया प. ह. सरसिया तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 2301, 2302, 2305, 2306, 2307, 2308, 2310, 2314, 2317, 2318 में आने जाने के लिये आ. न. 2312, 2313 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 2312 रकबा 100 वर्गमीटर, आ.न. 2313 रकबा 180 वर्गमीटर में से रास्ता देने पर कुल 280 वर्गमीटर भुमि प्रभावित होगी। तथा प्रार्थी बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण की भूमि से लगते हुए स्वंय के खसरा नम्बर 2314 में से 280 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थीगण को ~~भूमि~~ प्रदान करे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर(भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner